उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–2

संख्या–284 / ग्यारह–2–22–9(56) / 19–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(235)–2022
लखनऊ::दिनांक: 22 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन नियुक्त एवं वाणिज्यकर विभाग (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 2 (झ) में यथापरिभाषित) में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर तैनात अधिकारियों को सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करती हैं:–

सारणी

क्रम संख्या	वाणिज्यकर विभाग में तैनात अधिकारियों का वर्ग	उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथा नियुक्त
(1)	(2)	(3)
1	कमिश्नर, वाणिज्यकर	आयुक्त, राज्य कर
2	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर,	अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर
3	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, वाणिज्य कर,	अपर आयुक्त ग्रेड–2, राज्य कर
4	ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्यकर	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर
5	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्यकर	उपायुक्त, राज्य कर
6	असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर	सहायक आयुक्त, राज्य कर
7	वाणिज्य कर अधिकारी	राज्य कर अधिकारी

2– यह अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव।